

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2017/1051

दिनांक : 21/02/17

आदेश

खण्ड-अजमेर के अधीन विभिन्न योजनाओं में अवशिष्ट आवासों का आवासीय अभियंता अजमेर एवं उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जयपुर के प्रस्ताव अनुसार 566 आवास/प्लेट्स में से नाका मदार अजमेर के 9 प्लेट को छोड़ते हुए शेष 557 स्वतंत्र आवासों का नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है विभिन्न आवासीय योजना/शहर में उपलब्ध स्वतंत्र आवास का विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	योजना	आयवर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	EWS स्वतंत्र आवास	3-B-069, 3-B-070, 3-B-072, 3-B-074, 3-B-075, 3-B-078, 3-B-079, 3-B-086, 3-B-087, 3-B-088, 3-B-095, 3-B-096, 3-B-097, 3-B-098, 3-B-100, 3-B-102, 3-B-104, 3-B-106, 3-B-108, 3-B-110, 3-B-112, 3-B-114, 3-B-117, 3-B-121, 3-B-123, 3-B-125, 3-B-126-B, 3-D-003, 3-D-006, 3-D-008, 3-D-009, 3-D-010, 3-D-012, 3-D-013, 3-D-019, 3-D-020, 3-D-024, 3-D-025, 3-D-029, 3-D-032, 3-D-033, 3-D-034, 3-D-035, 3-D-036, 3-D-038, 3-D-039, 3-D-042, 3-D-045, 3-D-046, 3-D-048, 3-D-049, 3-D-052, 3-D-057, 3-D-059, 3-D-065, 3-D-066, 3-D-069, 3-D-070, 3-D-078, 3-D-080, 3-D-083, 3-D-084, 3-D-086, 3-D-089, 3-D-090, 3-D-091, 3-D-093, 3-D-095, 3-D-101, 3-D-102, 3-D-106, 3-D-108, 3-D-110, 3-D-115, 3-D-117, 3-D-142, 3-D-143, 3-D-147, 3-D-149, 3-D-150, 3-D-152, 3-D-153, 3-D-154, 3-D-156, 3-D-157, 3-D-158, 3-D-160, 3-D-160-B, 3-D-160-D, 3-D-160-E, 3-D-160-F, 3-D-160-H, 3-D-160-J, 3-D-161, 3-D-162, 3-D-163, 3-D-164, 3-D-165, 3-D-168, 3-D-170, 3-D-171, 3-D-172, 3-D-180, 3-D-181, 3-D-183, 3-D-184, 3-D-186, 3-D-188, 3-D-190, 3-D-192, 3-D-193, 3-D-194-B, 3-D-194-D, 3-D-194-H, 3-D-194-M, 3-D-194-O, 3-D-195-G, 3-D-195-H, 3-D-195-J, 3-D-195-K, 3-D-195-M, 3-D-195-O, 3-D-197, 3-D-198, 3-D-200, 3-D-201, 3-D-202, 3-D-205, 3-D-206, 3-D-207, 4-B-063, 4-B-066, 4-B-067, 4-B-071, 4-B-072, 4-B-078, 4-B-079, 4-B-080, 4-C-011, 4-C-012, 4-C-024, 4-C-025, 4-C-026, 4-C-027, 4-C-028, 4-C-029, 4-C-033, 4-C-034, 4-C-042, 4-C-043, 4-C-045, 4-C-047, 4-C-052, 4-C-055, 4-C-061, 4-C-063, 6-A-071, 6-A-072, 6-A-074, 6-A-076, 6-A-077, 6-A-079, 6-A-080, 6-A-081, 6-A-082, 6-A-083, 6-A-084, 6-A-086, 6-A-087, 6-A-089, 6-A-089-D, 6-A-089-F, 6-A-090, 6-A-090-B, 6-A-090-I, 6-A-095, 6-A-096, 6-A-097, 6-A-099, 6-A-101, 6-A-102, 6-A-104, 6-A-105, 6-A-106, 6-A-107, 6-A-108, 6-A-109, 6-A-111, 6-A-113, 6-A-114, 6-A-115, 6-A-119, 6-A-120, 6-A-121, 6-A-122, 6-A-123, 6-A-124, 6-A-127, 6-A-128-A, 6-A-128-C, 6-A-128-D, 6-A-128-E, 6-A-128-H, 6-A-129, 6-A-129-F, 6-A-131, 6-A-139, 6-A-140	208

E/raviletter

2.	खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	LiG स्वतंत्र आवास	2-B-022,2-B-023, 2-B-024,2-B-027, 2-B-028, 2-B-030-B, 2-B-031, 2-B-036, 2-B-039, 2-D-012, 2-D-014, 2-D-020, 2-D-021, 2-D-022, 2-D-030, 2-D-033, 2-D-034, 2-D-36, 2-D-038, 2-D-047, 2-D-052, 2-D-054, 2-D-055, 2-D-061, 2-D-064, 2-D-065, 2-D-066, 2-D-068, 2-D-069, 2-D-071, 3-B-004, 3-B-005, 3-B-007, 3-B-008, 3-B-014, 3-B-018, 3-B-021, 3-B-022, 3-B-023, 3-B-024, 3-B-025, 3-B-033, 3-B-036, 3-B-039, 3-B-040, 3-B-044, 3-B-046, 3-B-047, 3-B-048, 3-B-049, 3-B-051, 3-B-052, 3-B-055, 3-B-059, 3-B-062, 3-B-063, 3-C-016, 3-C-020, 3-C-025, 4-B-049, 4-B-051, 4-B-054, 4-B-057, 6-A-034, 6-A-037, 6-A-038, 6-A-040, 6-A-041, 6-A-043, 6-A-045, 6-A-049, 6-A-050, 6-A-051-C, 6-A-051-D, 6-A-052, 6-A-054, 6-A-056, 6-A-057, 6-A-058, 6-A-059, 6-A-061, 6-A-062, 6-A-063, 6-A-065, 6-A-160, 6-A-161, 6-A-163	87
3.	खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	MIG- A स्वतंत्र आवास	2-A-037, 2-A-038, 2-A-039, 2-A-040, 2-A-041, 2-A-042, 2-A-043, 2-A-046, 2-A-047, 2-A-048, 2-A-052, 2-A-053, 2-A-054, 2-A-055, 2-A-057, 2-A-061, 2-A-063, 2-A-065, 2-A-068, 2-A-069, 2-A-071, 2-A-073, 2-A-074, 2-A-075, 2-A-076, 2-B-004, 2-B-007, 2-B-008, 2-B-011, 2-B-014, 2-B-019, 2-C-029, 2-C-031, 2-C-032, 2-C-033, 2-C-034, 2-C-035, 2-C-036, 2-C-039, 2-C-040, 2-C-041, 2-C-042, 2-C-046, 2-C-048, 2-C-049, 2-C-050, 2-C-053, 2-C-055, 2-C-056,2-C-057,2-C-058,2-C-058-A,2-C-059,2-C-061, 2-C-062, 2-C-063, 2-C-065, 2-C-066, 2-C-069, 2-C-072, 2-C-073,2-C-074,2-C-075, 2-C-076, 2-C-078, 2-C-083-A, 3-C-001,	67
4.	खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	MIG- B स्वतंत्र आवास	2-A-003, 2-A-008, 2-A-009, 2-A-011,2-A-013, 2-A-016, 2-A-019, 2-A-020, 2-A-022, 2-A-023, 2-A-024, 2-A-025, 2-A-026, 2-A-030, 2-A-031, 2-A-033,2-A-034, 4-A-001, 4-A-003, 4-A-006, 4-A-007,4-A-008, 4-A-010, 4-A-011, 4-A-012, 4-A-013, 4-A-016,4-A-017, 4-A-018, 4-A-021, 4-A-022, 4-A-023,4-A-024, 4-A-026, 4-A-028, 4-A-029, 4-A-030, 4-A-031, 4-A-032, 4-A-033, 4-A-034, 4-A-036,	42
5.	खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	HIG स्वतंत्र आवास	1-A-001, 1-A-003, 1-A-004, 1-A-005, 1-A-006,1-A-008, 1-A-010, 1-A-015, 1-A-016, 1-A-017, 1-A-018, 1-A-019, 1-A-020, 1-A-021, 1-A-023, 1-A-024, 1-A-028, 1-A-032, 1-A-033, 1-A-035, 1-A-037, 1-A-038, 2-C-001, 2-C-03, 2-C-08, 2-C-010,	26
6.	नसीराबाद	EWS स्वतंत्र आवास	4/102, 5/207-C, 6/126, 6/158	4
7.	नसीराबाद	MIG- B स्वतंत्र आवास	1/78, 2/136, 2/147, 3/11, 3/11-A, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 4/13, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/22, 4/23	23

8.	नाकामदार अजमेर	EWS स्वतंत्र आवास	3-G-15, 3-J-35, 3-L-8, 3-K-9, 4/12, 4/39, 4/47, 4/50, 4/68, 4/91, 4/100, 4/102, 4/103, 4/112, 4/115, 4/149	16
9	नाकामदार अजमेर	LIG स्वतंत्र आवास	1-C-7, 2-G-1, 2-G-2, 2-G-3, 2-G-6, 2-G-7, 2-G-12, 2-G-28, 2-G-29	9
10	नाकामदार अजमेर	MIG-A स्वतंत्र आवास	1-MA-23, 1-MA-29, 1-MA-30, 1-MA-32, 1-MA-33, 1-MA-34	6
11.	दौराई	LIG स्वतंत्र आवास	1/191, 1/219, 1/223, 2/25, 2/121, 2/157, 2/163, 2/164, 2/203, 2/204, 2/205, 2/156-E, 2/156-H, 2/201-A, 3/84, 3/88, 3/89, 3/92	18
12.	दौराई	MIG-A स्वतंत्र आवास	1/4, 1/6, 1/23, 1/43, 1/51, 1/57, 2/4, 2/5, 2/7, 2/10, 2/121, 2/124, 2/125, 2/128, 2/131, 2/134, 2/154, 2/234, 2/241, 2/244	20
13.	खोडा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	EWS स्वतंत्र आवास	6-A-128-L, 6-A-129-B, 6-A-129-G, 6-A-129-K, 6-A-130, 6-A-132, 6-A-136, 6-A-137, 6-A-141, 6-A-142, 6-A-144, 6-A-145, 6-A-146, 6-A-148, 6-A-149,	15
14.	खोडा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	LIG स्वतंत्र आवास	6-A-070, 6-A-153, 6-A-157, 6-A-159,	4
15.	खोडा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	MIG-A स्वतंत्र आवास	2-C-079, 2-C-082, 3-C-002, 3-C-003, 3-C-004, 3-C-005,	6
16.	खोडा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	MIG-B स्वतंत्र आवास	4-A-039,	1
17.	खोडा गणेश फेज चतुर्थ, किशनगढ़	HIG स्वतंत्र आवास	2-C-002, 2-C-4, 2-C-7, 2-C-009, 2-C-011,	5
			कुल योग	557

d

अतः उक्त आवासों को निम्न शर्तों पर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जावें।

1. आवासीय योजना में आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवासों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवासों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।
5. आवासों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।
6. नोट:-आवासीय अभियन्ता, खण्ड-अजमेर के द्वारा प्रस्तावित नाकामदार, अजमेर के MIG-A के 09 फ्लेटों का संचालक मंडल की 229 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 229.21 के अनुसरण में खुली ब्रिकी योजना के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्रस्ताव अलग से भेजना होगा।
उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय का अनुमादेन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर/जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-अजमेर, राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबंधक (मु)